

नियम 21 : कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

कसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण का रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति—(क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या

(ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है।¹[(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।]

²[(ड.) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर का प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या

(च) धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1³[प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो] में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रयुक्त किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबंधित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे से अधिक है; या

(छ) नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

⁴[(छक) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का उल्लंघन करता है या]

(ज) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये धारा 39 की उपधारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छः महिने की अवधि के लिये रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है।

(झ) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिये रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा खंड (ड.), (च) और (छ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

³ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा खंड (छक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।